न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी नित्या के0 , आई.ए.एस.)

वाद पत्र सं0— 11 / 2020

प्रविष्टि दिनांक — 04.02.2020

उनवान

बसंती पत्नि स्व0 सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लतीफगंज उर्फ रूस्तमगंज तहसील व जिला टोंक

— वादी

बनाम

1 रमेशचन्द पुत्र स्व0 सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लतीफगंज उर्फ रूस्तमगंज तहसील व जिला टोंक
2 जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लतीफगंज उर्फ रूस्तमगंज तहसील व जिला टोंक
3 सीताराम पुत्र स्व0 सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लतीफगंज उर्फ रूस्तमगंज तहसील व जिला टोंक
4 हनुमान पुत्र स्व0 सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लतीफगंज उर्फ रूस्तमगंज तहसील व जिला टोंक
5 तहसीलदार टोंक।

— प्रतिवादिगण

उपस्थित— श्री महेश भारद्वाज — वकील वादी
श्री मोहीउद्दीन नासिर — वकील प्रतिपक्षीगण 1 ता 4
श्री अर्जुनलाल मीणा — पेशकार सरकार प्रति—5

निर्णय

प्रार्थना—पत्र बाबत— दुरूस्ति इन्द्राज

अन्तर्गत धारा—136 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांक :— 30/12/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर वाके ग्राम लतीफगंज पटवार हल्का चन्दलाई तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है। जिसमें मुताबिक रिकार्ड प्रार्थी का 1/5 हिस्सा है जिसकी वह तनहा मालिक एंव स्वामी खातेदार काबिज काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में आवेदिका का नाम बदाम अंकित कर रखा है जबकि सही एंव वास्तविक नाम बसन्ती है। राशनकार्ड, आधारकार्ड, बैंक की पासबुक आदि में बसन्ती ही नाम अंकित है। अतः प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रा0प0 स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 202 के राजस्व रिकार्ड में बदाम के स्थान पर सही एंव वास्तविक नाम बसन्ती अंकित करवाया जाकर दुरूस्ती फरमायी जावे।

आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र को साबित करने के लिये दस्तावेजात—जमाबन्दी, राशनकार्ड, आधारकार्ड, पीएनबी बैंक की पासबुक आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी तलब किया गया। सभी प्रतिपक्षीगण ने आवेदिका के आवेदन पत्र को स्वीकार करने में अपनी अनापत्ति/सहमति व्यक्त की है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आवेदिकका का नाम बादाम अंकित है एंव आधारकार्ड एंव अन्य दस्तावेजात में बसन्ती अंकित है। तहसीलदार टोंक ने भी अपने जवाब में उक्त त्रुटि स्वीकार की है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से आवेदिका का नाम बसन्ती के स्थान पर बदाम अंकित हो गया है जो लिपीकीय त्रुटि होने से दुरूस्ति योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी ख0नं0 202 से संबंधित वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2072—75 खाता संख्या—143 वाके ग्राम लतीफगंज पटवार हल्का—चन्दलाई भू—अभिलेख निरीक्षक वृत—धारा तहसील व जिला टोंक में आवेदिका का नाम बदाम के स्थान पर बसन्ती किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ति करावें।

यह निर्णय आज दिनांक 30/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

डिक्री मुकद्दमा इब्तादाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री नित्या के0, आई.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

बसंती पत्नि स्व0 सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लतीफगंज उर्फ रूस्तमगंज तहसील व जिला टोंक

– वादी

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र स्व0 सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लतीफगंज उर्फ रूस्तमगंज तहसील व जिला टोंक
2. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लतीफगंज उर्फ रूस्तमगंज तहसील व जिला टोंक
3. सीताराम पुत्र स्व0 सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लतीफगंज उर्फ रूस्तमगंज तहसील व जिला टोंक
4. हनुमान पुत्र स्व0 सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लतीफगंज उर्फ रूस्तमगंज तहसील व जिला टोंक
5. तहसीलदार टोंक।

– प्रतिवादिगण

उपस्थित– श्री महेश भारद्वाज – वकील वादी
श्री मोहीउद्दीन नासिर – वकील प्रतिपक्षीगण 1 ता 4
श्री अर्जूनलाल मीणा – पेरोकार सरकार प्रति–5

प्रार्थना–पत्र बाबत– दुरूस्ति ईन्द्राज

अन्तर्गत धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम

दावा नं0 11/2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी ख0नं0 292 से संबंधित वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2072–75 खाता संख्या–143 वाके ग्राम लतीफगंज पटवार हल्का–चन्दलाई भू–अभिलेख निरीक्षक वृत–धांस तहसील व जिला टोंक में आवेदिका का नाम बदाम के स्थान पर बसन्ती किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ति करावें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30/12/2020 को जारी किया गया।

मोहर (उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज0))

(नित्या के0)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज0)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मिजान		

नोटः–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।